देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन,
इन्दौर – 452 001

क्रमांक : गोपनीय/अग्रिम वै.व्य./2019/1124 दिनांक : 29 MAR 2019

// अधिसूचना //

एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 27/12/2018 में लिये गये निर्णय अनुसार :–

1. सभी महाविद्यालय द्वारा सत्रारंभ में ही प्रति विद्यार्थी रूपये 100/– परीक्षा संचालन शुल्क लेगें ।
2. स्वाध्यायी विद्यार्थियों से रजिस्ट्रेशन के समय रू. 100/– परीक्षा संचालन शुल्क लिया जाये।
3. उपरोक्त राशि से सैद्धांतिक परीक्षा के समस्त बिलों का नियमानुसार भुगतान करने का उत्तरदायित्व संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य का होगा ।
4. निजी वाहन से यात्रा करने के लिये रूपये 06/– कि.मी. की अनुमति पूर्वानुसार विश्वविद्यालय से ही प्राप्त करनी होगी ।
5. उपरोक्त राशि से प्रायोगिक परीक्षा के समस्त बिलों का नियमानुसार भुगतान करने का उत्तरादयित्व संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य एवं विभागाध्यक्ष का होगा ।
6. महाविद्यालय के प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक का दायित्व होगा कि किये गये भुगतान में से नियमानुसार कटौत्रा किया जाये जो निम्नानुसार होगा :–

   (A) टी.डब्ल्यू.एफ. 4% प्रतिशत (B) देयक पर पेन नम्बर होने पर टी.डी.एस. 10% अन्यथा 20% का कटौत्रा किया जाये ।
7. आयकर रिटर्न संबंधी समस्त कार्यवाही संबंधित महाविद्यालय/परीक्षा केन्द्र के प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक द्वारा की जावेगी ।
8. महाविद्यालय द्वारा टी.डी.एस. कटौती कर आयकर विभाग को एवं टी.डब्ल्यु.एफ. की राशि विश्वविद्यालय को लेखा के साथ भेजी जावे ।
9. प्रति सत्र सैद्धांतिक परीक्षा व प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न होने के उपरान्त परीक्षा केन्द्र/महाविद्यालय द्वारा किये गये व्यय का विस्तृत पूर्ण ब्यौरा (टी.डब्ल्यु.एफ./टी.डी.एस. कटौती सहित) विश्वविद्यालय में 30 जून तक आवश्यक रूप से जमा करें ।
10. यदि समस्त नियमानुसार व्यय उपरान्त कुछ राशि शेष रहती है तो वह राशि विश्वविद्यालय में जमा की जायेगी तथा उसकी जमा रसीद समायोजन लेखा पत्रक के साथ संलग्न की जायेगी । यदि परीक्षा संचालन हेतू यह राशि पर्याप्त नहीं होती है, तो अतिरिक्त राशि अंकेक्षण उपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय को प्रदान की जायेगी ।

अविरत.....2

11. परीक्षा संचालन की उक्त राशि में से महाविद्यालयों द्वारा अग्रेषण शुल्क (फारवर्डिंग की राशि) का हिसाब पृथक से लेखा पत्रक के साथ भेजा जाये ।

12. यदि महाविद्यालय प्रत्येक सत्र में समायोजन देयकों को दिनांक 30 जून तक गोपनीय विभाग में प्रस्तुत नहीं करता है, तो उसे अगले वर्ष की संबंद्धता जारी नहीं की जायेगी ।

13. **यह अधिसूचना 01 जुलाई 2019 से प्रभावी होगी ।**

आदेशानुसार,

परीक्षा नियंत्रक

पृष्ठा. क्र. : गोपनीय / अग्रिम वै.व्य. / 2019 / 1124 दिनांक 29 MAR 2019

प्रतिलिपि :–

1. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, इन्दौर संभाग, मोती तबेला केम्पस, इन्दौर की ओर सूचनार्थ ।
2. प्राचार्य / प्राचार्या / निदेशक, संबंधित समस्त महाविद्यालय देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर, जिला इन्दौर, धार, झाबुआ, खण्डवा, खरगोन, बडवानी, बुरहानपुर एवं अलीराजपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
3. संकायाध्यक्ष, छात्र कल्याण, दे.अ.वि.वि., इन्दौर
4. वित्त नियंत्रक, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर की ओर सूचनार्थ ।
5. उप कुलसचिव (परीक्षा) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर की ओर सूचनार्थ ।
6. उप कुलसचिव (प्रशासन) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर की ओर सूचनार्थ ।
7. उप कुलसचिव (शैक्षणिक) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर की ओर सूचनार्थ ।
8. अंकेक्षण विभाग, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर की ओर सूचनार्थ ।
9. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, दे.अ.वि.वि., इन्दौर

उप कुलसचिव (गोपनीय)

D:/Confidential/Advace Yearly/2019/11